श्री आनन्द शर्माः ये क्या बात कर रहे हैं? ...(व्यवधान)...

SHRI SITARAM YECHURY: Sir, what we were discussing....(Interruptions)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Yechury. ... (Interruptions)...

श्री मुख्तार अब्बास नक़वी: यह देश वीरों का देश है, यह देश बहादुर लोगों का देश है। यह देश हताश नहीं हो सकता। आपने ऐसा कैसे कहा? ...(व्यवधान)... आप माफी मांगे। ...(व्यवधान)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Let me listen to Mr. Yechury. ... (Interruptions)...

श्री मुख्तार अब्बास नक़वी: देश को हताश कहने का हक आपको किसने दिया है? ...(व्यवधान)... यह देश हताश नहीं हो सकता। ...(व्यवधान)...

SHRI SITARAM YECHURY: Sir, what we were discussing was an issue of unemployment that involved everybody, that concerned the whole country. ...(Interruptions)... Why should someone bring one party's name and make comments on it? ...(Interruptions)... That should not be done by a Minister. That is the point. You please tell the Minister that it was not correct and he just takes it back. The matter will be over. ...(Interruptions)... Why do you bring in one party? ...(Interruptions)...

श्री शरद यादव (बिहार)ः सर, मेरा यह मानना है ...(व्यवधान)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The House is adjourned up to 1200 hours.

The House then adjourned at thirty-seven minutes past eleven of the clock.

The House re-assembled at twelve of the clock,

MR. CHAIRMAN in the Chair.

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

MR. CHAIRMAN: Question Hour.

श्री शरद यादव (बिहार): सर, एक मिनट। आज ज़ीरो ऑवर में बेकारी और बेरोज़गारी पर बहस हो रही थी और आनन्द शर्मा जी उसको सपोर्ट करने के लिए खड़े हुए थे। उन्होंने जो बात कही, उसमें उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं कही थी। मैं कहना चाहता हूं कि मुद्दा unemployment का था, उस सवाल को सभी पार्टी के लोग उठा रहे थे और आनन्द शर्मा जी ने भी उठाया। उस पर मंत्री जी का, नक़वी जी का जो रिएक्शन था, उसको मैं ठीक नहीं मानता। मेरी आपके माध्यम से विनती है कि उस सवाल में, उस बात का वास्ता ही यहां नहीं था, जो आपने बोल दिया, इसलिए उस बात को आपको वापस लेना चाहिए, क्योंकि एक पार्टी को अपने कटघरे में खड़ा किया, जो ठीक नहीं है।...(व्यधान)...

MR. CHAIRMAN: Silence please. ... (Interruptions)...

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री; तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुख्तार अब्बास नक़वी): सर, आदरणीय शरद जी इस सदन में सबसे सम्मानित और विरेष्ठ सदस्य हैं। उस समय शोरगुल में जो बात आई थी, उसका रिकार्ड आप चेक कर लें। यह बात कहीं से आई थी कि नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में देश हताश-िनराश है। तो मैंने यह कहा था कि देश में किसी तरह की हताशा-िनराशा नहीं है, यह देश वीरों का देश है, यह देश बहादुरों का देश है, हर पिरिस्थिति में यह देश आगे बढ़ा है और मोदी जी के नेतृत्व में भी आगे बढ़ रहा है। जहां तक हताशा-िनराशा का प्रश्न है, तो मैंने यह कहा था कि हो सकता है कि कुछ राजनीतिक दल.. एक पार्टी का नाम लेकर मैंने कहा था और मैं उसको वापस लेता हूं। उस पार्टी का नाम मेरी बात में से हटा दिया जाए।

श्री सभापतिः ठीक है। Question No. 136.

Doubling farmer's income by 2022

- *136.SHRI C.M. RAMESH: Will the Minister of AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE be pleased to state:
 - (a) the objective behind doubling farmers' income by 2022;
- (b) the details of road-map prepared to ensure that farmers' income is doubled by 2022;
- (c) whether the Ministry is aware that to double the income, there is a need to increase agricultural growth by 11 per cent annually; and
- (d) if so, how Government is planning to reorient its interventions in the farm and non-farm sectors to achieve the above growth rate?

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE (SHRI RADHA MOHAN SINGH): (a) to (d) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) and (b) The objective behind doubling farmers income by 2022 is to provide the farmers greater income security and greater capacity to improve the standard of their living.

An Inter-Ministerial Committee has been constituted under the Chairmanship of Additional Secretary, Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare with a mandate to study and recommend a roadmap for doubling the income of the farmers by March 2022. The broad mandate of the Committee is as follows:

- (i) To study the current income level of farmers/agricultural labourers
- (ii) To measure the historical growth rate of the current income level

- (iii) To determine the needed growth rate to double the income of farmers/agricultural labourers by the year 2021-22
- (iv) To consider and recommend various strategies to be adopted to accomplish (iii) above.
- (v) To recommend an institutional mechanism to review and monitor implementation to realize the goal
- (vi) To examine any other related issue(s).

The Committee has begun its work and the approach adopted is, that it shall work as a dynamic committee. It shall suggest various interventions to be made on a continuous basis beginning with Kharif 2016 itself.

(c) and (d) The Ministry is aware, that in order to double the farmers' income over the period of six (6) years i.e. 2016-17 to 2021-22, in real terms the desired compound annual growth rate will have to be much higher than that achieved so far. The Committee will recommend the desired growth rate.

The Government is aiming to reorient agriculture sector by shifting the approach from pure production-centeredness to farmer's income-centeredness. A farmer's income is a basket of earnings from agriculture (including horticulture), allied activities like dairy, fishery etc. and ancillary activities like beekeeping etc., as also from other activities like wage labour, off-farm activities etc. Earnings from agriculture constitute the principle source of income of a farmer. In order to double the income of the farmer, the broad approach to be adopted consists of:

- (i) increase productivity of output;
- (ii) reduce cost of production through more efficient input management;
- (iii) ensure remunerative prices on the farmer's produce by creating an efficient agricultural marketing system;
- (iv) reduce wastage of produce through more efficient practices of storage etc.;
- (v) create value chain for the produce by creating an efficient supply chain;
- (vi) enable the farmer to cover his production risks by providing a comprehensive and farmer-friendly crop insurance scheme;
- (vii) focus on states and districts with high gaps between current levels of productivity and potential yield levels; and

(viii) focus on field crops (e.g. pulses) and sectors of agriculture (e.g. horticulture, dairy etc.) that hold greater potential for growth.

Government's aim to enhance the average income of the farmers would also be aided by absorption of surplus manpower now in agriculture sector in non-farm activities including service and manufacturing sectors.

SHRI C.M. RAMESH: Sir, we have always been emphasizing on agricultural output rather than the farmers' income but this Government is now thinking about the farmers' income, which is a good sign.

One of the eight approaches of the Government to double the farmers' income is marketing. If it is done through electronic trading, we can remove the middlemen and increase the farmers' income considerably. But to allow the electronic trading, States have to amend the APMC Act to facilitate the farmers in selling their produce in *mandis*. So, I would like to know from the hon. Minister as to what efforts he is making to pursue the States to amend the APMC Act and permit electronic sale of the farmers' produce.

श्री राधा मोहन सिंहः महोदय, मोदी सरकार आने के 6 वर्ष पहले राष्ट्रीय कृषिं मडी बनाने हेत् प्रयास शुरू हुआ था। इसके तहत राज्य सरकारें मंडी कानून बनाती हैं। इसके प्रयास लगातार चलते रहे कि राज्य सरकारें मंडी कानून में परिवतन करें, क्योंकि राज्यों में अलग-अलग मंडियों के लिए अलग-अलग कानुन थे, ई-ट्रेडिंग की व्यवस्था नहीं थी, कानुन में इसका प्रावधान नहीं था, अलग-अलग लेवी थी, लेकिन जब मोदी सरकार आई, तो हमने भी इसके लिए प्रयास शुरू किया। हमने कई बैठकें कीं, लेकिन राज्यों की ओर से इसमें बहुत रुचि नहीं दिखाई गई। अन्त में, 2015 के प्रारम्भ में सभी राज्यों के कृषिं मित्रयों और मार्केटिंग सेक्रेटरी को एक साथ ले जाकर कर्णाटक में कुछ प्रयोग हुए थे। वहां हम लोगों ने दो दिनों तक सभी मंडियों का दौरा किया, देखा और उसके बाद बड़ी तेज़ी से राज्यों ने इस दिशा में कानून में परिवर्तन किए। अभी तक 17 राज्यों और एक संघ-शासित प्रदेश ने पूर्णतः या आंशिक परिवर्तन कर दिया है और 7 राज्यों तथा एक संघ-शासित प्रदेश ने अभी तक कोई परिवर्तन नहीं किया है। 8 संघ-शासित प्रदेशों में मंडी कानून नहीं है। दो राज्यों में मंडी कानून है, लेकिन वह वहां लागू नहीं है। जिन राज्यों ने मंडी कानून में परिवर्तन किए हैं या आंशिक परिवर्तन कर रहे हैं, उनकी चर्चा में अगर केरल, पंजाब और बिहार को छोड़ दें, तो लगभग सभी राज्यों ने इस दिशा में अपने प्रयास शुरू किए हैं। अभी तक हमारे पास 12 राज्यों से 365 मंडियों के प्रस्ताव आए हैं। उसमें हर मंडी के लिए हम अलग से धनराशि की सहायता करते हैं और आईटी के इंजीनियर देते हैं। उसमें 365 मंडियों को हमने यह स्विधा मुहैया कराई है। हमने एक strategic partner के द्वारा एक software develop करके 14 अप्रैल, 2016 को 8 राज्यों के 21 मंडियों को one e-trading platform से जोड़ा है, बाद में इसमें दो और मंडियां जुड़ी हैं। यह एक पायलट प्रयोग चल रहा है और किसानों ने इस प्रयोग के तहत उन 23 मंडियों में अभी तक 108 करोड़ रुपए की बिक्री की है। इसमें 3 हजार व्यापारियों और लगभग 17 हजार किसानों का पंजीकरण हुआ है और मुझे विश्वास है कि सितम्बर महीने में दो सौ मंडी one etrading platform से जुड़ जाएंगी। मार्च, 2018 आते-आते दो सौ और मंडियां इससे जुड़ जाएंगी। हमारा लक्ष्य मार्च, 2018 तक 585 बडी मंडियों को इससे जोडने का है। यदि राज्यों ने सहयोग किया, तो 2017 के अंत तक ही हम 585 मंडियों को इससे अवश्य जोड देंगे।

SHRI C.M. RAMESH: Sir, there is no doubt that through focussed attention and other interventions, we can achieve this goal. I strongly feel, and the experts also feel, that if there is a separate Budget for Agriculture, half of the job is done. Our Chief Minister, Mr. Chandrababu Naidu, for the first time in the country, introduced a separate Budget for Agriculture in Andhra Pradesh. So, I would like to know from the hon. Minister whether any efforts have been made from his side to have a separate Budget for Agriculture to achieve the objective of doubling farmers' income by 2022.

श्री राधा मोहन सिंह: महोदय, सरकार का ऐसा कोई विचार नहीं है कि कृषि के लिए अलग बजट हो, लेकिन सरकार ने कृषि के बजट को बढ़ाया है और गांव के विकास की जो योजनाएं हैं, उनके बजट में भी इस वर्ष भारी बढ़ोत्तरी की गई है।

श्री शिव प्रताप शुक्लः महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि उत्पादन लागत मूल्य और न्यूनतम समर्थन मूल्य, इन दोनों में कितना अंतर है? लागत मूल्य पर आमदनी का रेश्यो क्या है? स्टेटवाइज cost of production की क्या स्थिति है?

श्री राधा मोहन सिंह: महोदय, लागत मूल्य और समर्थन मूल्य का जहां तक सवाल है, तो देश के 16 कृषि विश्वविद्यालयों के माध्यम से, राज्यों के सहयोग से एक संस्था 20 राज्यों के लागत मूल्य का अध्ययन करती है और उनसे जो लागत मूल्य प्राप्त होता है, उसके बाद जो आयोग मूल्य निर्धारण करता है, वह उसका average निकाल कर न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करता है। जहां तक राज्यवार ब्यौरे की बात है, वह में माननीय सदस्य को उपलब्ध करा दूंगा, लेकिन उसकी यही प्रक्रिया है। न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करते समय इसका ध्यान रखा जाता है कि जो लागत मूल्य है, उससे ज्यादा न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों को दिया जाए। कभी-कभी यह भी होता है कि आयोग जो न्यूनतम समर्थन मूल्य देने की सिफारिश करता है, समय-समय पर मंत्रालय भी और केबिनेट भी उस मूल्य में वृद्धि करती है।

श्री रेवती रमन सिंहः माननीय चेयरमैन साहब, सरकार ने 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करने का प्रस्ताव रखा है, लेकिन इस समय जीडीपी में कृषि का हिस्सा 4 प्रतिशत है और अगर किसानों की आमदनी को दोगुना करना है, तो जब तक जीडीपी में कृषि का हिस्सा 11 प्रतिशत नहीं होगा, तब तक इस लक्ष्य को हासिल कर पाना असंभव है। मैं आपके माध्यम से कृषि मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि आप किस तरह से इसको 2022 तक 4 प्रतिशत से बढ़ा कर 11 प्रतिशत पर लाएंगे? उसके लिए आपने कौन-कौन से कारगर कदम उठाए हैं?

श्री राधा मोहन सिंह: महोदय, 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी की जाए, इसके लिए एक अंतर-मंत्रालयी समिति का गठन किया गया है और उस समिति का जो काम है, उसके बारे में, हमने जो पेपर ले किया है, उसमें दिया है। इसके लिए सात बिन्दु अंकित किए गए हैं। यह कमेटी बजट के बाद अप्रैल महीने में बनी है और इसकी पहली रिपोर्ट सितम्बर में आनी है, लेकिन फिर हमने कुछ नए उपाए किए हैं। सबसे पहले तो किसानों का उत्पादन बढ़े, इस दृष्टि से हर खेत को पानी मिले, इसके लिए अपने देश में हम सब को पता है कि आजादी के लगभग 68 वर्ष होने के बाद भी 55-56

फीसदी खेतों को पानी नहीं है। आज भी गांव में जो सामान्य किसान हैं, वे पानी डेढ़ सौ रुपए घंटा, दो सौ रुपए घंटा के हिसाब से खरीदते हैं। हर खेत को पानी मिले, इसके लिए जो प्रधान मंत्री सिंचाई योजना प्रारम्भ की थी, सभी जिलों को इरिगेशन प्लान बनाने के लिए पैसे 2015 के प्रारम्भ में ही भेज दिए गए थे। मुझे खुशी है कि हर राज्य ने अधिकतर जिलों में अपना इरिगेशन प्लान लगभग 80 प्रतिशत जिलों का बना लिया है। जो देश के अंदर 89 योजनाएं पहले थीं, लेकिन अभी केबिनेट ने परसों मंजूरी दी है। देश की 99 मध्यम और बड़ी परियोजनाएं हैं, जिनसे 86 लाख हेक्टेयर की खेती हो सकती है, यह 15-20 वर्षों से लम्बित है। इस पर हम लोगों ने कई बार चर्चा भी की है। इसके लिए नाबार्ड के सहयोग से कॉरपस फंड का निर्माण किया गया है। इस वर्ष उसमें से 27 परियोजनाओं को भी राशि दी गई है। इसी तरीके से लागत कम हो, इस दृष्टि से हर किसान को Soil health card दिया गया है। तो हर किसान को soil health card दिया जाए। इसके लिए राज्यों को पर्याप्त राशि दी गई। लेकिन राज्यों के पास परेशानी पिछले वर्ष यह थी कि उनके पास लेब नहीं थी या लेब थी तो बिल्कुल काम नहीं कर रही थी। राज्यों ने इसमें काफी मेहनत की है। मार्च, 2017 तक हर किसान को soil health card देने का जो हमारा लक्ष्य था, तीन-चार महीने का इधर-उधर हो सकता है, लेकिन हर किसान को soil health card मिलेगा, ताकि उसको पता चले कि कितनी खाद देनी है, कितनी दवा देनी है। इससे भी लागत कम होगी। फिर इसी प्रकार की बहुत सारी योजनाएं जैसे राष्ट्रीय कृषिं मडी, जिस पर अभी हमने चर्चा की है कि किसानों को अच्छा मूल्य मिले, उत्पादन ज्यादा हो, लागत कम हो। पहले neem-coated यूरिया सौ किलो देते थे और अब 80 किलो हो गया है, क्योंकि 80 किलो में काम चल सकता है। पहले यूरिया के लिए लाठियां चलती थीं, अश्रु गैस के गोले छोड़े जाते थे। किसान लाठी खाता था और उसे ब्लैक में खरीदना पड़ता था। लोक सभा में तो सभी माननीय सदस्य यूरिया की मांग राज्यों के लिए बराबर करते थे। यह पहला वर्ष है जब यूरिया की मांग नहीं हुई और 15-16 वर्षों में आज़ादी के बाद सबसे ज्यादा यूरिया का उत्पादन हुआ। पहली बार 25-30 वर्ष के बाद डी.ए.पी. का काम कम किया गया है, पोटाश का दाम कम किया गया है, ताकि लागत कम हो और अच्छी मंडी मिले। इसलिए राष्ट्रीय कृषि बाजार, इस तरह से कई योजनाएं हमने प्रारम्भ कर दी हैं। जब कमेटी की रिपोर्ट आएगी तो रिपोर्ट में और भी जो बातें आएंगी, उनको भी हम लागू करेंगे।

SHRI D. BANDYOPADHYAY: Sir, the Government has already announced its intention of doubling farmer's income by 2022. In the reply to the question, it has been stated that a Committee has been established to indicate the desired rate of growth. If the Government is unaware of the rate of growth, how can it announce a firm year by which the farmers' income would be doubled?

श्री राधा मोहन सिंहः महोदय, हमने जो स्टेटमेंट दिया है, शायद इन्होंने उसका दूसरा पेज नहीं देखा है। दूसरे पेज पर बहुत साफ लिखा है कि कृषिगत उपार्जन किसी किसान की आय का प्रमुख स्रोत है। किसान की आय से दोगुना करने के प्रयोजनार्थ अपनाए जाने वाली मुख्य युक्तियां इस प्रकार से हैं। लगभग 8 युक्तियां इसमें लिखी हुई हैं। उसमें से हमने चार-पांच युक्तियों का वर्णन किया है। अगर मैं बाकी का वर्णन करूं तो डेढ़-दो घंटे इसमें चले जाएंगे, पूरा क्वेश्चन ऑवर इसी में चला जाएगा। हमारे स्टेटमेंट में दिया हुआ है कि कौन-कौन सी युक्तियां हम अपना रहे हैं।

* [The questioner (SHRI SANJAY RAUT) was absent]

Losses incurred by Mumbai local trains

- *137.SHRI SANJAY RAUT: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:
- (a) whether it is a fact that Mumbai's lifeline, local train, is running into losses of more than ₹ 4000 crore during the last three years;
- (b) if so, the details thereof indicating the earnings and expenditure of Mumbai local trains during the last three years;
- (c) the reasons behind losses despite Mumbai local trains running to their full capacity throughout the year; and
- (d) the details of steps taken or proposed to be taken by Government for making Mumbai local trains profitable without increasing the passenger fare?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI SURESH PRABHU): (a) to (d) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

- (a) The total loss incurred by Mumbai local trains during last three years is ₹ 3394 crore.
- (b) The earnings and expenditure of Mumbai local trains during the last three years are as under:

(₹ in crore)

| Year | Earnings | Expenditure | Profit/Loss (-) |
|---------|----------|-------------|-----------------|
| 2012-13 | 1392.28 | 2247.98 | (-) 855.70 |
| 2013-14 | 1502.97 | 2614.77 | (-) 1111.80 |
| 2014-15 | 1640.63 | 3066.82 | (-) 1426.19 |
| Total | 4535.88 | 7929.57 | (-) 3393.69 |

- (c) The reasons behind losses in Mumbai local trains running to their full capacity throughout the year are as under:
 - (i) The fare structure of Mumbai Suburban is highly subsidised. The commuters are entitled for subsidised Monthly Season Ticket (MST), Quarterly Season Ticket (QST), Half Yearly Season Ticket (HYST) and Annual Season Ticket (AST), which are more subsidised than the Second-Class Ordinary fares.